24/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29/5/24 को पेश हो।

29/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 2090 ग्राम पंचायत बेरी तहसील व जिला सीकर के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.09.2008 के आधार पर भरा गया था, को खारिज किया जाता है। तहसीलदार सीकर को प्रकरण इस आशय से पेश किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का उचित अवसर देते हुए, वारिसान की जांच कर, मृतक के विरासत का नामान्तकरण वारिसान के मध्य बराबर-बराबर के हिस्सा भरा जावे। पत्रावली में निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

अपील संख्याः– 12/2012

1. भगवानी
2. रूकमा
3. बरजी
4. कैशी
5. मुन्नी

समस्त पुत्रियां नारायण जाति जाट निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर

–अपीलांट–

बनाम

1. सरदार सिंह दत्तक पुत्र नारायण
2. मनकारी बैवाह नारायण
   समस्त जाति जाट निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर
3. ग्राम पंचायत बेरी जरिये सरपंच पंचायत समिति पिपराली

– रेस्पोडेन्टान –

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.ले.रे.एक्ट

उपस्थित – वकील अपीलांट– श्री सागर मल धायल
वकील रेस्पोडेंट– श्री सांवर मल चौधरी

निर्णय

दिनांक : 29.04.2024

वकील अपीलांट द्वारा एक अपील पेश किया जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 606 से खसरा नम्बर 611 कुल किता 07 कुल रकबा 6.10 हैक्ट तन बेरी तहसील व जिला सीकर मे अवस्थित है उक्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है जो इनको अपने पिता व पति नारायण पुत्र कुंभा से प्राप्त भूमियां है। नारायण पुत्र कुंभा का सन 1996 में देहान्त हो गया, नारायण की मृत्यु पर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०)

और ना ही विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई युक्ति संगत कारण अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 बैठक दिनांक 22.09.2008 में साफ–साफ अंकित है कि अपीलान्ट संख्या 1 ता 5 ने सरदार दत्तक पुत्र नारायण के हक में नारायण की फौत होने पर 100 रूपयें के स्टांप पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति प्रदान की है तथा उनकी स्वीकृति के आधार पर रेस्पोडेन्टस के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण की सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी स्टांप की प्रति हेतु सचिव ग्राम पंचायत व पटवार हल्का का मूल रिकॉर्ड तबल किया। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रस्ताव संख्या 1 बैठक दिनांक 22.09.2008 में जिस स्टांप का वर्णन किया गया है उक्त स्टांप नहीं पाया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता का यह कथन था कि अपीलान्टस द्वारा 100 रूपयें के स्टाम्प पर सहमति दिये जाने पर नामान्तकरण संख्या 2090 रेस्पोडेन्टस के हक में स्वीकार किया गया। चूंकि ग्राम पंचायत व पटवारी पटवार हल्का का मूल रिकॉर्ड तलब करने पर उक्त स्टाम्प नहीं पाया गया । इसलिए बिना किसी साक्ष्य दस्तावेज के यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलान्टस ने चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 2090 भी स्वीकृत करने की सहमति दी हो। अपीलान्टस मृतक नारायण की जायन्दा पुत्रियां होने के नाते उसकी प्रथम श्रेणी की वारिसान है इसलिए अन्य वारिसान के साथ–साथ अपीलान्टस का भी बराबर का हक व हिस्सा कानूनन बनता है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण भरने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान बाबत् कोई जांच की हों। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 2090 जो प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 22.09.2008 के आधार पर भरा गया था को खारिज किया गया है। प्रकरण तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं मृतक के विरासत का नामान्तकरण, मृतक के विधिक वारिसान अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के हक में बहिस्सा बराबर–बराबर भरा जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)